

प्रेषक,

राकेश शर्मा,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।
3. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून: दिनांक: 24 अक्टूबर, 2013

विषय:- तदर्थ बोनस: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2012-2013 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या-303/XXVII(7)बोनस/2012, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012।
- 2- भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या: 7/24/2007/ई-III (ए) दिनांक 27 सितम्बर, 2013।

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अन्तर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल तथा दैनिकभोगी कर्मचारियों की वर्ष 2011-2012 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या-2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 सितम्बर, 2013 द्वारा वर्ष 2012-2013 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

3- उपर्युक्त क्रम संख्या-1-2 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 के क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके पुनरीक्षित वेतनमान में रु0 4800 ग्रेड पे जिसका अपुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु0 13,500 तक है को वर्ष 2012-2013 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। इस प्रायोजन के लिए दिनांक 31 मार्च 2012 को ग्राह्य परिलब्धियां तदर्थ बोनस के रूप में रु0 3454 होगी (रु0 3500X30/30.4=रु0 3453.95 को सुगमांकित कर रु0 3454.00)। उक्त शासनादेश के अनुसार किये जाने वाले समस्त भुगतान रूपये के निकटतम में सुगमांकित कर किये जाएंगे। तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(i) तदर्थ बोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनके पुनरीक्षित वेतनमान में रु0 4800 का ग्रेड वेतन अपुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु0 13,500/- तक है, को ही अनुमन्य होगा। वेतनमान रु0 4800 ग्रेड वेतन का अपुनरीक्षित वेतनमान रु0 7500-12000 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें समयमान वेतनमान के रूप में उच्च वेतनमान अनुमन्य हो चुका है और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01-01-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में बने रहने के लिए विकल्प दिये हों, के संबंध में पद के वेतनमान का अधिकतम रु0 3500/- तक माना जायेगा। परन्तु रु0 4800 के ग्रेड वेतन में अपुनरीक्षित वेतनमान रु0 7500-12000 या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा।

(ii) इन आदेशों के अन्तर्गत केवल वही अराजपत्रित कर्मचारी बोनस सुविधा हेतु पात्र होंगे, जो दिनांक: 31 मार्च, 2013 को राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2012-2013 की अवधि के दौरान न्यूनतम छः माह की लगातार सेवा पूर्ण की हो। वर्ष के दौरान न्यूनतम छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीने (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जायेगी।

(iii) तदर्थ बोनस की अधिकतम व्यय धनराशि रु0 3500/- प्रतिमाह की परिलब्धियाँ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात् जिन कर्मचारियों की परिलब्धियाँ रु0 3500/- से अधिक थी उनके लिए तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियाँ रु0 3500/- प्रतिमाह हैं।


(iv) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन जैसा कि कमरा: मूल नियम 9(21)(1), 9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01-01-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो, अथवा जिन कर्मचारियों का दिनांक 01-01-1996 से वेतनमान पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के लिए शासनादेश संख्या-वे-आ-1-2043/दस-93-39(एम)/93, दिनांक 14 अक्टूबर, 1993 तक तथा शासनादेश संख्या-वे-आ-1-624/दस-39(एम)/93 टी0सी0, दिनांक 16 अगस्त, 1995 के अनुसार अंतरिम सहायता कमरा: रु0 100/- प्रतिमाह की प्रथम किशत तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम रु0 100/- प्रतिमाह की द्वितीय किशत की धनराशि भी परिलब्धियों में जोड़ी जायेगी।

(v) मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष भत्ता, शिक्षा भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या-वे-आ-1-774/दस-39(एम)/93 टी0सी0, दिनांक 27 सितम्बर, 1996 द्वारा स्वीकृत "अंतरिम सहायता" की धनराशि को भी परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(vi) ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध वर्ष 2012-2013 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो, जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद वर्ष 2012-2013 में कोई दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

(vii) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।


- 4- कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2013 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2013 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्यरत रहे हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में संबंधित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियां रु० 1200 प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रु० 1200 X 30/30.4=1184.21 अर्थात् रु० 1184/- (पूर्णांकित) होगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियां रु० 1200 प्रतिमाह से कम हैं उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंकलित की जायेगी।
- 5- अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद में किया जायेगा।
- 6- बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या-वे०आ०-1-120/दस-1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 1984 के प्रस्तर-1(7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगे।
- 7- उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय-व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अंतर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

  
(राकेश शर्मा)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 758 (1)/XXVII(7)बोनस/2012 एवं तददिनांक ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
  2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
  3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ((वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),कमरा नं-261,नार्थ ब्लॉक,नई दिल्ली-110001।
  4. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  6. निबन्धक,उच्च न्यायालय,नैनीताल।
  7. रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीश्नर, कानपुर/देहरादून।
  8. संयुक्त निदेशक,कोषागार सिविल कार्यालय,नवीन कोषागार भवन(प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ इरला चैक।
  9. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
  10. निदेशक, लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
  11. स्थानीय आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
  12. पुनर्गठन आयुक्त,उत्तराखण्ड,विकास भवन,सचिवालय परिसर लखनऊ,उ0प्र0।
  13. वित्त अधिकारी,उत्तराखण्ड सचिवालय,देहरादून।
  14. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
  15. उपनिदेशक,राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियाँ मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करना चाहें।
  16. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,उत्तराखण्ड।
  17. निदेशक,एन0आई0सी0,देहरादून।
  18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(एल0एन0पन्त)  
अपर सचिव।